कार्यालय कलेक्टर, एवं जिला दण्डाधिकारी, गौरेला–पेण्ड्रा–मरवाही (छ0ग0)

दूरभाष क्र.–07751–221004, फैक्सनं. 07751–221005
ई–मेल–collector-gpm@cg.gov.in, collectorgpm.cg@gmail.com

––::आदेश::––

क्रमांक /2351 /कले. / एस.डब्लू / 2021 गौरेला–पेण्ड्रा–मरवाही, दिनांक 24 / 05 / 2021

कोविड–19 पॉजिटिव प्रकरणों की संख्या में लगातार वृद्धि होने के कारण उत्पन्न परिस्थितियों के अनुक्रम में इस कार्यालय के आदेश क्रमांक / 2099 / कले / एस.डब्लू. / 2021 दिनांक 05.05.2021 के द्वारा दिनांक 15.05.2021 को प्रातः 06:00 बजे तक की अवधि हेतु कंटेनमेंट जोन घोषित करते हुए जिला गौरेला–पेण्ड्रा–मरवाही में सार्वजनिक आवागमन एवं अन्य गतिविधियों पर कड़े प्रतिबंध अधिरोपित किये गये है।

गौरेला–पेण्ड्रा–मरवाही जिले में व्यवसायिक गतिविधियों पर अधिरोपित प्रतिबंधों एवं सम्पूर्ण जिले को कंटेनमेंट जोन घोषित करने से कोविड–19 पॉजिटिव प्रकरणों की संख्या में उल्लेखनीय गिरावट दर्ज की गई है किन्तु भीड़–भाड़ में वृद्धि होने पर कोविड–19 संक्रमण बढ़ने की आशंका अभी भी विद्यमान है। आम जनता हेतु आवश्यक वस्तुओं एवं सेवाओं के आपूर्ति सुनिश्चित करने के साथ–साथ श्रमिकों, निम्न आय वर्ग एवं छोटे–बड़े व्यवसायीगण के हितों की सुरक्षा हेतु निर्बंधनों में समुचित रियायत दिया जाना भी जरूरी है। उपरोक्त परिस्थितियों में समुचित विचारोपरान्त कोरोना वायरस की चेन को तोड़ने तथा सभी वर्गों के हितों की सुरक्षा हेतु युक्तियुक्त पुनरीक्षित निर्बंधन अधिरोपित करते हुये सम्पूर्ण गौरेला–पेण्ड्रा–मरवाही जिले में कंटेनमेंट जोन की अवधि बढ़ाया जाना व्यापक लोकहित में आवश्यक प्रतीत होता है।

अतः दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144, आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 30, 34 सहपठित एपिडेमिक एक्ट, 1987 यथा संशोधित 2020 द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अधीन इस कार्यालय के आदेश क्रमांक / 2226 / कले. / एस.डब्लू / 2021 गौरेला–पेण्ड्रा–मरवाही, दिनांक 15 मई 2021 को अधिक्रमित करते हुए **मै, नम्रता गांधी, कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, जिला गौरला–पेण्ड्रा–मरवाही निम्नलिखित आदेश प्रसारित करती हूँ :–**

1. गौरेला–पेण्ड्रा–मरवाही जिला अंतर्गत सम्पूर्ण क्षेत्र दिनांक 31.05.2021 प्रातः 06:00 बजे आगामी आदेश पर्यन्त तक कंटेनमेंट जोन रहेगा। उपरोक्त दर्शित अवधि में गौरेला–पेण्ड्रा–मरवाही जिले की सभी सीमाएँ सील रहेगी।
2. उपरोक्त समयावधि में निम्नलिखित गतिविधियाँ पूर्णतः प्रतिबंधित रहेंगी :–
   - I. सभी बाजार, सब्जी बाजार,सप्ताहिक बाजार, मॉल, स्विमिंग पूल, क्लब, सिनेमा हॉल, सैलून, ब्यूटी–पार्लर, स्पा, जिम तथा अन्य सार्वजनिक स्थल बंद रहेगे।
   - II. जिला अंतर्गत संचालित समस्त शराब दुकाने एवं बार बंद रहेगें किन्तु ऑनलाईन एप्लीकेशन के माध्यम से होम डिलीवरी की अनुमति रहेगी।

III. सभी पार्क, रिसॉर्ट तथा सामूहिक उपस्थिति वाले सभी धार्मिक स्थल, सांस्कृतिक एवं पर्यटन स्थल प्रतिबंधित रहेंगे।

IV. स्कूल एवं कालेज विद्यार्थियों हेतु बंद रहेगें। छात्रावास में केवल परीक्षा देने वाले विद्यार्थियों को निवास की अनुमति होगी। शासन से अनुमति प्राप्त समस्त परीक्षाओं को छोड़कर कोचिंग क्लासेस सहित अन्य समस्त शैक्षणिक गतिविधियां बंद रहेगी।

V. सभी प्रकार की सभा, जुलूस, धरना, प्रदर्शन, सामाजिक, धार्मिक एवं राजनैतिक आयोजन इत्यादि पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगें।

VI. विवाह कार्यक्रम वर अथवा वधू के निवास–गृह में एवं मैरीज हॉल में भी आयोजित करने हेतु अनुमति रहेगी, तथा कोविड–19 प्रोटोकॉल का कड़ाई से पालन की शर्त के अधीन आयोजन में शामिल होने वाले व्यक्तियों की अधिकतम संख्या पूर्ववत 10 रहेगी, उक्त कार्यक्रम हेतु अनुविभागीय दण्डाधिकारी से अनुमति लेना अनिवार्य रहेगा, उक्त आदेश का उल्लंघन करने पर 10000/– (दस हजार रूपये) का अर्थदण्ड अधिरोपित किया जायेगा एवं बिना मास्क लगाये पाये जाने पर प्रति व्यक्ति 500/–(पांच सौ रूपये) की अर्थदण्ड देना होगा। इसी प्रकार अंत्येष्टि, दशगात्र, इत्यादि मृत्यु संबंधी कार्यक्रम में शामिल होने वाले व्यक्तियों की अधिकतम संख्या 10 रहेगी।

VII. सभी प्रकार की मंडियाँ एवं सब्जी बाजार गौरेला–पेण्ड्रा–मरवाही इत्यादि आम जनता हेतु बंद रहेगें किन्तु आवश्यक वस्तुओं/माल की आपूर्ति सुनिश्चित करने हेतु गोडाउन/मंडियों में थोक माल/कार्गो/फल/सब्जी लोडिंग/अन–लोडिंग की अनुमति रात्रि 10:00 बजे से प्रातः 08:00 बजे तक रहेगी। फल एवं सब्जी थोक बाजार समयावधि रात्रि 12:00 बजे से प्रातः 08:00 बजे तक ही संचालित होगा।

VIII. सभी पान/सिगरेट ठेला तथा चौपाटी, चाट, समोसा, गुपचुप, फास्ट–फूड इत्यादि के विक्रय हेतु ठेलों का संचालन पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा।

3. नम्बर VIII में उल्लेखित दुकानों को छोडकर अन्य सभी दुकानें प्रातः 06:00 बजे से दोपहर 02:00 बजे तक संचालन की अनुमति, सभी सामाग्रीयों यथा संभव होम डिलीवरी प्रातः 06:00 बजे से दोपहर 02:00 बजे तक स्ट्रीट वेण्डर्स/ठेले वालों/पिक–अप/मिनीट्रक/अन्य उपयुक्त छोटे वाहन के माध्यम से की जा सकेंगी। इस हेतु प्रयुक्त वाहन पर बैनर या बड़ा स्टिकर प्रदर्शित करना होगा। उपरोक्तानुसार होटलों एवं रेस्टोरेंट्स से प्रातः 06:00 बजे से रात्रि 08:00 बजे तक केवल होम डिलीवरी की अनुमति दी जाती है किन्तु ग्राहकों के लिए इन–हाउस डाइनिंग तथा टेक–अवे पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। भीड़–भाड़ या निर्देशों का उल्लंघन होने पर होटलों एवं रेस्टोरेंट्स को नियमानुसार 30 दिवस हेतु सील करने की कार्यवाही की जावेगी। सभी दुकान संचालकों को यह निर्देशित किया जाता है कि स्वंय एवं स्टॉफ का कोविड–19 टीकाकरण सुनिश्चित करेंगें एवं प्रमाण पत्र दुकान पर प्रदर्शित करेंगें।

उपरोक्तानुसार दुकान संचालको को दुकान संचालन एवं होम डिलीवरी के दौरान मास्क धारण करना एवं फिजिकल डिस्टेंसिंग का कड़ाई से पालन करना

अनिवार्य होगा। किसी दुकान में संचालन एवं होम डिलीवरी के दौरान भीड़–भाड़ होने पर एपिडेमिक एक्ट 1897 के अधीन चालान/अर्थदण्ड अधिरोपित करने के साथ–साथ दुकान को 30 दिवस हेतु सील किया जावेगा। संबंधित नगर पंचायत/ग्रामीण क्षेत्र के अधिकारी उनके क्षेत्र में प्रोविजन स्टोर/किराना दुकानों से संपर्क हेतु उनके मोबाईल नम्बर/पोर्टल की जानकारी शोसल मीडिया के माध्यम से प्रसारित करेगें। उपरोक्त निर्देशों के उल्लंघन की दशा में दुकान को सील करने/ठेले को जब्त करने/अर्थदण्ड राशि 5000/– (पांच हजार रूपये), एवं बिना मास्क के प्रति व्यक्ति को 500/– (पांच सौ रूपयें) अर्थदण्ड अधिरोपित की जायेगी।

4. ई–कामर्स एप्लीकेशन जैसे अमेजॉन, फ्लिप कार्ट इत्यादि के माध्यम से वस्तुओं की होम डिलीवरी तथा कोरियर डिलीवरी प्रातः 06:00 बजे से 02:00 बजे तक ही की जा सकेगी।
5. थोक किराना/अनाज बाजार तथा आलू, प्याज विक्रेता प्रातः 06:00 बजे से 02:00 बजे तक केवल होम डिलीवरी हेतु अनुमति होगी।
6. को–मॉर्बिड/गर्भवती अधिकारियों/कर्मचारियों को एक्टिव ड्यूटी से छूट देते हुए पोस्ट ऑफिस/बैकों को अधिकतम 50 प्रतिशत स्टॉफ के साथ उपरोक्त अवधि के दौरान समस्त लेन–देन की अनुमति होगी। इस हेतु शाखा प्रबंधक संबंधित व्यक्तियों से विधिवत आवेदन प्राप्त कर अभिलेख संधारित करेंगें।
7. सभी अस्पताल, मेडिकल दुकानें, क्लिनिक एवं पशु–चिकित्सालय को उनके निर्धारित समय में संचालन की अनुमति होगी। मेडिकल दुकान संचालक मरीजों के लिए दवाओं की होम डिलीवरी को प्राथमिकता देगें।
8. सभी निर्माण कार्यो को संचालन हेतु अनुमति रहेगी किन्तु श्रमिकों की सुरक्षा एवं कोविड–19 प्रोटोकाल का कड़ाई से पालन अनिवार्य होगा।
9. शासकीय उचित मूल्य दुकानों को खाद्य नियंत्रक, गौरेला–पेण्ड्रा–मरवाही, द्वारा निर्धारित समयावधि में मास्क, फिजिकल डिस्टेंसिंग, नियमित सेनिटाइजेशन एवं भीड़–भाड़ नहीं होने देने की शर्त को कड़ाई से पालन कराने के अधीन, टोकन व्यवस्था के साथ खुलने की अनुमति होगी।
10. सभी संचालित दुकानों में निःशुल्क वितरण अथवा विक्रय हेतु मास्क रखना तथा दुकान में कार्यरत् कर्मचारियों एवं ग्राहकों के उपयोग हेतु सेनिटाईजर रखना अनिवार्य होगा। होम डिलीवरी व्यवस्था में संलग्न सभी व्यक्तियों को नियमित अंतराल में कोविड–19 जॉच तथा कोविड–19 वैक्सीनेशन कराना आवश्यक होगा। साथ ही होम डिलीवरी के दौरान मास्क धारण करना एवं फिजिकल डिस्टेंसिंग का कड़ाई से पालन करना अनिवार्य होगा।
11. प्रतिदिन दोपहर 02:00 बजे से प्रातः 06:00 बजे तक लॉक डाउन लागू रहेगा, जिसके दौरान इस आदेश द्वारा अनुमति प्राप्त गतिविधियाँ जैसे होटल/रेस्टोरेंट से होम डिलीवरी तथा थोक माल/कार्गो/फल/सब्जी की लोडिंग/अन–लोडिंग की

अनुमति निर्धारित समयावधि में रहेगी। आपातकालीन आवागमन को छोड़कर अन्य समस्त गतिविधियों पर प्रतिबंध रहेगा।

12. कोविड संक्रमण के रोकथाम हेतु जिले में समस्त कार्य और कांटेक्ट ट्रेसिंग, एक्टिव सर्विलांस, होम, आईसोलेसन, दवाई वितरण कार्य में संलग्न सभी शासकीय कर्मचारियों की उपस्थिति पूर्वानुसार अनिवार्य होगी। कोविड केयर सेंटर से डिस्चार्ज होने वाले मरीजों के परिवहन में संलग्न वाहन पूर्वानुसार संचालित रहेगें।

13. उपरोक्त अवधि में रेल, बस व हवाई यात्रा हेतु रेल्वे स्टेशन, बस स्टैण्ड व एयरपोर्ट पर आने-जाने वाले यात्रियों को ई पास की आवश्यकता नहीं होगी। यात्रियों को निवास/स्टेशन तक आने-जाने हेतु उनके पास उपलब्ध यात्रा टिकट ही ई-पास के रूप में मान्य किया जावेगा। अपरिहार्य परिस्थितियों में गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही से अन्यत्र आने-जाने वाले यात्रियों को ई-पास के माध्यम से पूर्व अनुमति लिया जाना अनिवार्य होगा तथापि प्रतियोगी/अन्य परीक्षाओं में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थियों हेतु उनका एडमिट कार्ड तथा रेल्वे/टेलीकॉम/एयरपोर्ट संचालन एवं रख-रखाव का या हॉस्पिटल या कोविड-19 ड्यूटी में संलग्न कर्मचारियों/ चिकित्सकों की दशा में नियोक्ता द्वारा जारी आई.डी. कार्ड ई-पास के रूप मान्य किया जायेगा।

14. कोविड-19 जांच अथवा कोविड-19 टीकाकरण हेतु मेडिकल दस्तावेज या आधार कोर्ड/विधि मान्य परिचय-पत्र या ऑनलाईन रजिस्ट्रेशन दिखाने पर कोविड-19 टींकाकरण केन्द्र अस्पताल/पैथालॉजी लैब आवा-गमन की अनुमति होगी किन्तु अनावश्यक भ्रमण सख्त प्रतिबंधित रहेगा।

15. आपात स्थिति में यात्रा के दौरान 04 पहिया वाहनों में ड्राईवर सहित अधिकतम 03, ऑटो में ड्राईवर सहित अधिकतम 03, एवं दो पहिया वाहन में अधिकतम 02 व्यक्तियों को यात्रा की अनुमति होगी। रेल्वे स्टेशन, एयरपोर्ट, बस स्टैण्ड, हॉस्पिटल आवागमन हेतु आटो/टैक्सी परिचालन की अनुमति रहेगी। किन्तु अन्य प्रयोजन हेतु परिचालन पूर्णतः प्रतिबंध रहेगा। इस निर्देश का उल्लंघन किये जाने पर 15 दिवस हेतु वाहन जब्त करते हुए चालानी व अन्य कानूनी कार्यवाही की जावेगी।

16. मीडिया कर्मी यथा संभव वर्क फॉम होम द्वारा कार्य संपादित करेगें। अत्यावश्यक स्थिति में कार्य हेतु बाहर निकलने पर अपना आई-कार्ड साथ रखेगें तथा फिजिकल डिस्टेंसिंग एवं मास्क संबंधी निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करेगें।

17. यह आदेश कार्यालय कलेक्टर, अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी, पुलिस अधीक्षक, उप पुलिस अधीक्षक (शहर/ग्रामीण/यातायात), मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय एवं उनके अधीनस्थ समस्त कार्यालय, अनुविभागीय दण्डाधिकारी, तहसील अस्पताल, थाना एवं पुलिस चौकी पर लागून हीं होगा। इसके अतिरिक्त कानून व्यवस्था एवं स्वास्थ्य सेवा से संबंधित अधिकारी, विद्युत पेयजल आपूर्ति एवं नगरपालिका सेवायें जिसमें सफाई, सीवरेज एवं कचरे का डिस्पोजन इत्यादि भी शामिल है तथा अग्निशमन सेवाओं के संचालन हेतु संबंधित अधिकारियों/कर्मचारियों को कार्यालय संचालन एवं आवागमन की अनुमति होगी किन्तु इन शासकीय

संचालन एवं आवागमन की अनुमति होगी किन्तु इन शासकीय कार्यालयों में अति आवश्यक कार्यों को छोड़कर उपरोक्त अवधि में आम जनता का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा।

18. राज्य शासन या इस कार्यालय के विशेष आदेश द्वारा अनुमति प्राप्त किसी सेवा के संचालन की अनुमति होगी।
19. दुग्ध पार्लर व दुग्ध–वितरण तथा न्यूज पेपर हॉकर द्वारा समाचार पत्रों के वितरण की समयावधि प्रातः 06:00 बजे से दोपहार 2:00 बजे तक एवं संध्या 05:00 से संध्या 06:30 बजे तक होगी।
20. पैट शॉप/एक्वेरियम को केवल पशुओं को पशु चारा देने हेतु प्रातः 06:00 बजे से प्रातः 02:00 बजे तक एवं संध्या 05:00 बजे से 06:30 बजे तक शॉप खोलने की अनुमति होगी।
21. पंजीयन कार्यालय को टोकन सिस्टम के साथ कम से कम कर्मचारियों के साथ कार्यालय संचालन की अनुमति होगी।
22. सभी कार्यालय कोविड–19 से संबंधित एवं विभागीय कार्यों हेतु खुलेगें परन्तु आम जनता का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा।
23. **प्रत्येक रविवार को पूर्ण लॉकडाउन रखा जावेगा, जिसके दौरान केवल अस्पताल, क्लिनिक, मेडिकल दुकान, पेट्रोल पंप तथा इस आदेश द्वारा निर्धारित समयावधि में शासकीय उचित मूल्य दुकानें, एल.पी.जी. पैट शॉप, न्यूज पेपर, दुग्ध/फल/सब्जी तथा अनुमति प्राप्त अन्य वस्तुओं/सेवाओं की होम डिलीवरी के संचालन की ही अनुमति होगी।**

उपरोक्त बिन्दुओं को छोड़कर गौरेला–पेण्ड्रा–मरवाही में समस्त गतिविधियाँ पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगी।

इस आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति/प्रतिष्ठानों पर भारतीय दण्डसंहिता 1860 की धारा 188, आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 51–60 तथा अन्य सुसंगत विधि अनुसार कड़ी कार्यवाही की जावेगी।

यह आदेश अल्प समयावधि में लागू किया जाना आवश्यक है। वर्तमान परिस्थितियों में इस आदेश से प्रभावित होने वाले व्यक्तियों को सम्यक समय में तामीली संभव नहीं होने के कारण यह आदेश एकपक्षीय रूप से पारित किया जाता है। आदेश का व्यापक प्रचार–प्रसार तथा कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जावें।

यह आदेश दिनांक 24.05.2021 रात्रि 12:00 बजे से लागू होगा।

24/5

नम्रता गांधी (भा.प्र.से.)
कलेक्टर
एवं जिला दण्डाधिकारी
जिला गौरेला पेण्ड्रा मरवाही (छ0ग0)

पृ0क्रमांक /2352/ कले./एस डब्लू/2021 गौरेला–पेण्ड्रा–मरवाही, दिनांक 24/05/2021

प्रतिलिपि :–

1. अतिरिक्त मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, गृह (पुलिस) विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर की ओर सादर सूचनार्थ।
2. अतिरिक्त मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय महानदी भवन, अटल नगर, नवा रायपुर, को सादर सूचनार्थ।
3. आयुक्त, बिलासपुर,संभाग, बिलासपुर की ओर सादर सूचनार्थ।
4. पुलिस अधीक्षक, गौरेला–पेण्ड्रा–मरवाही की ओर सादर सूचनार्थ।
5. अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), पेण्ड्रारोड/मरवाही की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित
6. अनुविभागीय दण्डाधिकारी पेण्ड्रारोड/मरवाही की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
7. उप संचालक, जनसंपर्क, जिला गौरेला–पेण्ड्रा–मरवाही को सूचनार्थ एवं दैनिक समाचार पत्रों के प्रकाशनार्थ प्रेषित।
8. सर्व तहसीलदार/कार्यपालिक दण्डाधिकारी, जिला गौरेला–पेण्ड्रा–मरवाही को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
9. मुख्य नगरपालिका अधिकारी, नगर पंचायत गौरेला/पेण्ड्रा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
10. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत गौरेला/पेण्ड्रा/मरवाही को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
11. सर्व संबंधित की ओर सूचनार्थ।

न्यायालय जिला दण्डाधिकारी गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही (छ.ग.)

नम्रता गांधी (भा.प्र.से.)
कलेक्टर
एवं जिला दण्डाधिकारी
जिला गौरेला–पेण्ड्रा–मरवाही (छ0ग0)